न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) वाद संख्या–09/2014
सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा –बनाम– गोपाल साह एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
16/8/2019	आदेश विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा के पत्रांक 125 दिनांक 23.01.2014 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या–216/2013 दिनांक 22.08.2013 में जब्त खाद्यान्न 201 (दो सौ एक) बोरी चावल वजन 100.50 (एक क्विंटल 50 किलोग्राम) को अधिहरण करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गयी। आदेश फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाद्यान्न नष्ट होने की संभावना को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को आदेश दिया गया है कि जब्त खाद्यान्न को स्थानीय बजार में नियमानुसार बिक्री कराकर प्राप्त राशि अनुमंडल नजारत में जमा करेंगे तथा संबंधित पक्षकार को कारण–पृच्छा हेतु सूचना निर्गत करने का निदेश दिया गया है। तदालोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा के पत्रांक 585 दिनांक 12.09.2018 से स्पष्ट है कि संबंधित खाद्यान्न स्थानीय बाजार में बिक्री कराकर प्राप्त राशि मो0–1,31,655/- (एक लाख एकतीस हजार छः सौ पचपन) रुपये अनुमंडल नजारत में नाजिर रसीद संख्या–566610 दिनांक 03.06.2014 के द्वारा जमा कर दिया गया है। विपक्षी इस वाद में उपस्थित होकर अपना प्रत्युत्तर दाखिल किये हैं परन्तु वाद की कार्रवाई के क्रम लगातार अनुपस्थित हैं। विद्वान् विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि छापामारी के क्रम में विपक्षी के दाल मिल से दाल की बोरियों के अतिरिक्त कुल चावल 201 (दो सौ एक बोरी) वजन 100.50 (एक सौ क्विंटल पचास किलो) तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा सरकारी खाद्यान्न का कालाबाजारी किया जाता है। अतः जब्त खाद्यान्न को राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर का भी अवलोकन किया। विपक्षी द्वारा दाखिल प्रत्युत्तर के माध्यम से कथन है कि यह वाद सरासर गलत तरीके से दाखिल किया गया है। विपक्षी के भाई ने चावल की बोरी का बिल दिखाया था जो कि मेसर्स माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स का था। यह भी कथन है कि केवल बोरी के चावल देखने से यह कह देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है कि उक्त चावल एफ0सी0आई0 का है। विपक्षी का यह भी कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना	

में क्रिमिनल मिस्लेनियस वाद 34680/2015 दाखिल है जो लंबित है। इसलिए दाखिल आपत्ति आवेदन को स्वीकार करते हुए वाद को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

अभिलेख पर संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी के दाल मिल पर छापामारी के क्रम में दाल की बोरियों के अतिरिक्त जब्त चावल विभिन्न प्रकार के खाली बोरा के साथ पंजाब सरकार लिखा हुआ खाली बोरा जिसमें एस0एफ0सी0 का चावल/गेहूँ भेजा जाता है, पाया गया। जिससे यह साबित होता है कि विपक्षी के द्वारा खाद्यान्न का कालाबाजारी किया जाता है। विपक्षी के द्वारा अपने प्रत्युत्तर के समर्थन में कोई भी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दाखिल करने का प्रश्न है तो उसके समर्थन में भी कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, और न ही कोई स्थगन आदेश इस वाद की कार्यवाही में ससमय दाखिल किया गया है।

अतएव सम्यक् विचारोपरान्त सिंहवाड़ा थाना कांड सं0–216/2013 में जब्त खाद्यान्न की बिक्री से प्राप्त संबंधित राशि कुल मो0–1,31,655/- (एक लाख एकतीस हजार छः सौ पचपन) रुपये को राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को निदेश दिया जाता है कि उक्त जब्त खाद्यान्न की बिक्री से प्राप्त राशि को सरकार के विहित शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित करें। अंकनीय है कि तथाकथित माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित वाद में पारित आदेश के अनुरूप संबंधित राशि के विमुक्ति के बिन्दु पर अग्रेतर कार्रवाई अपेक्षित होगी।

उक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा